

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 1700 वर्ष 2026

अंकित कटारिया

.....आवेदनकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह विभाग लखनऊ

.....प्रतिवादी(गण)

आवेदनकर्ता(गण) के अधिवक्ता	: सैयद मोहम्मद अबुज़र जैदी, हरिकेश कुमार
प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -28

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव भारती

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अभियुक्त-आवेदक पुलिस थाना कोतवाली, जिला बाराबंकी में धारा 318(4), 338, 336(3), 3(5), 340(2) बीएनएस और धारा 66डी आई टी अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 1149/2025 में, जमानत की मांग कर रहा है।

अभियोजन पक्ष के मामले में, यह आरोप लगाया गया है कि मुख्य आरोपी, दीपक तिवारी, ऑनलाइन सट्टेबाजी की गतिविधियों में शामिल है और दूसरों को उक्त सट्टेबाजी पटल पर संदर्भित करके पैसे कमाता है। आगे यह भी आरोप है कि मुख्य आरोपी, सह-आरोपियों के साथ मिलकर, नौकरी दिलाने के लिए झूठे विज्ञापन प्रकाशित करने, अश्लील सामग्री, डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी आदि जैसे अन्य अपराधों में भी शामिल है, और ऐसी अवैध गतिविधियों में लिप्त होकर, सह-आरोपी दीपक तिवारी और अन्य आरोपी व्यक्ति अपने-अपने बैंक खातों में पैसे प्राप्त करते थे।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। यह तर्क दिया गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा आवेदक की संलिप्तता को सिद्ध करने के लिए कोई भी सामग्री एकत्र नहीं की गई है। आवेदक से एक मोबाइल फोन और 100/- रुपये नकद की झूठी बरामदगी दिखाई गयी है। कथित अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हैं। आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है।

यह निवेदन किया गया है कि सह-आरोपी आदर्श राज और मीनाक्षी वर्मा को क्रमशः आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 825/2026 और 1208/2026 में पारित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

दिनांक 18.02.2026 और 18.02.2026 के आदेशों के माध्यम से ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है। आवेदक उक्त सह-आरोपियों के ज़मानत आदेशों के साथ समता का दावा करता है।

आगे यह भी निवेदन किया गया है कि ज़मानत पर रिहा होने के बाद आवेदक के फरार होने या गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। यदि आवेदक को ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता आवेदक जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सका कि यह समता का मामला है।

मैंने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा दी गई दलीलों पर विचार किया है और साथ ही अभिलेख की भी जाँच की है।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, सह-आरोपियों की ज़मानत के आदेशों, इस तथ्य कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, इस तथ्य कि वह 30.12.2025 से न्यायिक हिरासत में है, इस तथ्य कि लगाए गए अपराधों की सुनवाई मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है, और वर्तमान आवेदक के खिलाफ अभियोजन पक्ष द्वारा जुटाए गए सबूतों की प्रकृति पर विचार करते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे समानता के आधार पर आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने के लिए एक उपयुक्त मामला मानता हूँ।

तदनुसार, जमानत का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आवेदक अंकित कटारिया, जो उपरोक्त प्राथमिकी/वाद अपराध संख्या में सम्मिलित है, को उपरोक्त मामले में, संबंधित मजिस्ट्रेट/न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, उसी राशि का एक निजी मुचलका और दो ज़मानतें प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन ज़मानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा;
- (iii) आवेदक विचरण न्यायालय द्वारा तय की गई हर तिथि पर उपलब्ध होगा।

कोई भी अन्य शर्त (शर्तें) जो विचरण न्यायालय/संबंधित न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित और सही समझे, वह भी लगाई जा सकती है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ केवल वर्तमान ज़मानत प्रार्थना पत्र तक ही सीमित हैं और परीक्षण के गुण-दोष पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायाधीश श्री राजीव भारती)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



26 मार्च, 2026

केकेबी/

Translated Version. Not for Legal Use.